न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान

रतन बनाम डालचंद

किस्म मुकदमा धारा-225 मि.नं. 2024/81 सन

अभिभाषक अपीलान्ट जगदीश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट प्रभु प्रकाश खण्डेलवाल R-1, विजय कुमार गुप्ता R-3,5,6

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12-09-23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद द्वारा कार्य स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-10-23 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
17-10-23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभि० रेस्पो० उपस्थित। शेष रेस्पो० अनुपस्थित। बहस हेतु अभिभाषकगण उभयपक्ष को अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि० 06-11-23 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अपीलांट अनुपस्थित 06-11-23
06-11-23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते एज विड्रो अपील को निरस्त फरमाये जाने हेतु पेश किया और उक्त अपील को आगे नहीं चला कर एज विड्रो अपील को खारिज करने हेतु निवेदन किया। आदेशिका पर अभिभाषक अपीलांट व अभि० रेस्पोडेंटगण ने हस्ताक्षर किये। अभिभाषक अपीलांट के प्रा०पत्र एज विड्रो न्यायहित में स्वीकार कर उक्त अपील एज ए विड्रो खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन	विड्रो खारिज। [signature] 06.11.23 Jagdish Khandelwal; Ghanshyam [illegible]; Advocate; Advocate Kota

दर्ज 20-12-22

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कम भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा राज0

अपील नियमित झालावाड-- /2022

1–रतन उम्र–52 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री माधो जी जाति भोई (कहार)
निवासी भोई मोहल्ला तहसील के पीछे, मंदसौर मध्य प्रदेश

2–शोभाबाई उम्र–60 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री माधो जी पत्नी देवीलाल जी
जाति भोई (कहार) निवासी पर्वतखेडा मेदपुर सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश

–अपीलाण्टगण

–बनाम–

Adv. G.P. Khandelwal

1–वालचंद उम्र–68 वर्ष आत्मज श्री गणेशलाल जाति अग्रवाल महाजन
निवासी चौमहला तहसील गंगधार जिला झालावाड राज0

2–गुलाब (स्वर्गीय) आत्मज स्वर्गीय श्री माधो जी, मृतक जरिये कायम मुकामान

2/1–कमलाबाई बैवा स्वर्गीय गुलाब

2/2–जितेन्द्र कहार पुत्र स्वर्गीय गुलाब

2/3–फूलचंद पुत्र स्वर्गीय गुलाब

2/4–माया बाई पुत्री स्वर्गीय गुलाब

2/5–लालीबाई पुत्री स्वर्गीय गुलाब

जाति भोई (कहार) निवासीगण गंगधार जिला झालावाड राज0

3–बंसन्तिलाल उम्र–50 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री माधो जाति भोई (कहार)
निवासी गंगधार तहसील गंगधार जिला झालावाड राज0

Adv. Arun K. Sain

4–शोभागमल उम्र–44 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली

5–ईश्वरलाल उम्र–42 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली

क्रमशः–––2

Adv. Arun K. Jain – [6–मुकेश उम्र–40 वर्ष पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली

निवासीगण गंगधार तहसील गंगधार जिला झालावाड राज0

7–शाखा प्रबन्धक सी.बी.आई. बैंक शाखा गंगधार जिला झालावाड

8–सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार जिला झालावाड राज0

–रेस्पोडेन्ट्स

<u>सम्माननीय उपखण्ड अधिकारी गंगधार जिला झालावाड द्वारा वाद बउनवान डालचंद बनाम 1–गुलाब आदि, वाद क्रमांक–दावा/2016, में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक–23–6–2017 (दिनांक–23–6–2016) की अप्रसन्नता से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा– 223 के अन्तर्गत अपील।</u>

मान्यवर,

अपीलाण्ट्स निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत करते है–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक–23–6–2017 (23–6–2016) विधि, न्याय एवम संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2– यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा–88, 89, 205 आर.टी. एक्ट को वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिना कानून सम्मत अभिवचनो, बिना विधि सम्मत दस्तावेजात विक्रय–पत्र दिनांक–11–05–2004 (अनरजिस्टर्ड) के व बिना साक्ष्य के ही अपना निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर त्रुटि की है।

3– यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान को सम्यक सूचना –